अमानक उर्वरक-बीज पर सख्ती: 2220 नमूने फेल, 117 एफआईआर और 33 गिरफ्तारियां

जयपुर, , वेब वार्ता। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सख्त निगरानी कर रही है। निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर नमूने लेकर उनकी जांच कराई जाती है और अमानक पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ जब्ती, एफआईआर, बिक्री पर रोक तथा लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाती है। प्रश्नकाल के दौरान हरीश चौधरी द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि आदानों की जांच क्षमता बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में 59 हजार नमूनों की वार्षिक विश्लेषण क्षमता को बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में लगभग 29 प्रतिशत वृद्धि के साथ 76 हजार 250 नमूने प्रतिवर्ष कर दिया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में जनवरी 2026 तक प्रदेश में उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के लिए लिए गए नमूनों में से कुल 2220 नमूने अमानक पाए गए हैं। इन मामलों में अब तक 466 प्रकरणों में न्यायालय में वाद दायर किए जा चुके हैं।

कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक 117 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई हैं, जबकि 33 मामलों में गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा 27 मामलों में चालान, 39 लाइसेंस निरस्त, 215 लाइसेंस निलंबित और 128 मामलों में जब्ती की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके तहत निरीक्षक कृषि आदान निर्माण इकाइयों और विक्रेताओं का निरीक्षण कर नमूने लेते हैं, जिनका विश्लेषण राज्य की अधिसूचित परीक्षण प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। परिणामों के आधार पर संबंधित अधिनियमों और नियंत्रण आदेशों के तहत कार्रवाई की जाती है। कृषि मंत्री ने बताया कि फसल मौसम से पहले विभाग विशेष गुणवत्ता नियंत्रण अभियान भी चलाता है, जिससे बाजार में उपलब्ध उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया 16 से होगी शुरू

जयपुर , वेब वार्ता। गृह रक्षा विभाग द्वारा राजस्थान होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया 16 मार्च से चार अप्रैल तक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुरा बेगस जयपुर में आयोजित की जाएगी।

नामांकन प्रक्रिया में 269 रिक्त पदों के विरुद्ध 67,943 अभ्यर्थी भाग लेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को मोबाइल एसएमएस एवं ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा जिसमें दिये गए लिंक अथवा विभागीय वेबसाईट httpÑ//home.rajasthan.gov.in/homeguards पर जाकर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया लगभग तीन सप्ताह तक चलना सम्भावित है। अभ्यर्थी को निर्धारित दिनांक को अपने केंद्र पर आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होना होगा व प्रवेश पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण अन्य सभी दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा। प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0141-2377797 पर सम्पर्क कर सकता है।

सिरोही पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चर ने पिया फिनाइल

कॉलेज पहुंचते ही होने लगी थी उल्टियां, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज

सिरोही, 9 मार्च (का.सं.)। सिरोही पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर कुलदीप पवार ने सोमवार सुबह फिनाइल पी लिया। उन्हें गंभीर हालत में सिरोही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिनाइल पीने का कारणों का अभी तक पता नहीं चला है।

जानकारी के अनुसार कुलदीप पवार सोमवार को कॉलेज जल्दी पहुंच गए थे। कुछ देर बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने फिनाइल पी लिया है।कुलदीप पवार के फिनाइल पीने की सूचना मिलते ही कॉलेज के प्रिंसिपल बी.एल. सिंघाड़िया उन्हें तुरंत सिरोही ट्रॉमा सेंटर ले गए। उन्होंने कुलदीप के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी। ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के पूछने पर पवार ने बताया कि उन्होंने बोतल में रखा पूरा फिनाइल पी लिया था।

प्रिंसिपल सिंघाड़िया ने बताया कि कुलदीप पवार ने उन्हें पहले बताया था कि उनका मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज चल रहा है। उनसे पर्ची दिखाने के लिए भी कहा था। हालांकि, उन्होंने फिनाइल किस कारण से पिया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना की सूचना कोतवाली थाने के आसूचना अधिकारी ने सिरोही सदर पुलिस को दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ सहायक 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बांसवाड़ा, वेब वार्ता। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। बांसवाड़ा तहसील के कोष कार्यालय में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते सहायक प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम ने यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेष मीणा के नेतृत्व में की।

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार परिवादी ने ई-मित्र के माध्यम से जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इस दौरान वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा ने आवेदन में पटवारी के फर्जी हस्ताक्षर बताकर परिवादी को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी और 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सत्यापन कराया, जिसमें

रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। साथ ही 10 हजार रुपये पर सहमति बनी।

पुलिस: इसके बाद एसीबी बांसवाड़ा की टीम ने सोमवार दोपहर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी को वरिष्ठ सहायक कचरू कटारा के पास रंग लगे नोटों के साथ भेजा। रिश्वत राशि लेने के बाद इशारा पाकर एसीबी की टीम पहुंची और वरिष्ठ सहायक को मौके पर ही धर दबोचा। आरोपित ने राशि सहायक प्रशासनिक अधिकारी मिलन भट्ट को दे दी थी। भट्ट के पास से रिश्वत की राशि बरामद की गई। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। दोनों को उदयपुर में विशिष्ट न्यायालय में पेश किया जाएगा।

भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'लामितिये 2026 हुआ आरंभ

नई दिल्ली, , वेब वार्ता। भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक संयुक्त दल हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स पहुंच गया है। यहां यह भारतीय सैन्य दल सेशेल्स रक्षा बलों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास 'लामितियेङ्क2026' में भाग ले रहा है। यह सैन्य अभ्यास 9 मार्च से 20 मार्च तक सेशेल्स की रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान भारत और सेशेल्स के सैनिक संयुक्त रूप से प्रशिक्षण लेंगे, विभिन्न मिलिटरी मिशनों की योजनाएं बनाएंगे और अलग-अलग सामरिक गतिविधियों को अंजाम देंगे। इसमें अर्ध-शहरी वातावरण में संभावित खतरों को निष्क्रिय करने के लिए कई प्रकार की युद्धक कार्रवाई की जाएंगी। इसके साथ ही नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों और आधुनिक तकनीक के उपयोग का अभ्यास भी किया जाएगा। 'लामितिये' शब्द क्रियोल भाषा का है, जिसका अर्थ मित्रता होता है। यह अभ्यास हर दो वर्ष में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2001 से नियमित रूप से सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है इस वर्ष यह इस महत्वपूर्ण अभ्यास का ग्यारहवां संस्करण है। भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर दोनों पक्षों का मुख्य फोकस है।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शिविर प्रारम्भ

सिरोही, 9 मार्च (का.सं.)। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिको द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे स्वंय के कार्य हेतु उपलब्धता अनुसार पखवाडा वार कार्य की मांग योजना के एम.आई.एस. पोर्टल पर दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए नगर परिषद सिरोही की ओर से 11 मार्च बुधवार से 24 मार्च मंगलवार तक 10 दिवसीय शिविर नगर परिषद सिरोही के कार्यालय परिसर में आयोजित किया जायेगा। जिससें नगरपरिषद सिरोही द्वारा पखवाडे में कार्य की मांग हेतु उपलब्ध श्रमिको को मस्टरोल जारी कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। आशुतोष आचार्य आयुक्त नगरपरिषद सिरोही ने बताया कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार व जरूरतमंद लोग श्रमिक के रूप में अपना पंजीकरण करवाकर योजना का अधिकतम लाभ उठा सके।

अंधेरे और अधूरी सड़क का खामियाजा, गुरुग्राम के सेक्टर 99 में खाई में पलटी टैक्सी

बादशाहपुर (गुरुग्राम) , वेब वार्ता। द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़े सेक्टर-99ए में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें एक टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा सेक्टर-99ए स्थित हैबिटेट सोसायटी के पास रात करीब 10 बजे हुआ। जब एक टैक्सी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी गहरी खाई में पलट गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी 75 मीटर चौड़ी अपर रोड पर हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस सड़क का करीब 100 मीटर

हिस्सा पिछले कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। सड़क के इस अधूरे हिस्से के कारण यहां गहरी खाई जैसी स्थिति बन गई है। जिससे वाहन चालकों को रात के समय विशेष रूप से खतरा बना रहता है। पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण यहां दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अधूरी सड़क और अंधेरे के कारण इस स्थान पर पहले भी कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। अगर समय रहते सड़क का निर्माण पूरा कर दिया जाए और उचित रोशनी की व्यवस्था की जाए तो कई हादसों को रोका जा सकता है।

इस संबंध में हैबिटेट सोसायटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दलबीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि वे इस सड़क के अधूरे निर्माण को लेकर कई बार संबंधित विभागों को लिखित शिकायत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क लंबे समय से अधूरी पड़ी हुई है।

उत्तम नगर तरुण हत्याकांड: आरोपी अमरुद्दीन के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, महिला आरोपी अभी भी पकड़ से दूर

नईदिल्ली , वेब वार्ता। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराधियों के मकान और अन्य प्रतिष्ठानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी देखने को मिला है। यहां उत्तम नगर थाना क्षेत्र में होली के दिन पानी से भरे गुब्बारे के छींटे पड़ने के विवाद में तरुण नामक युवक की हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपियों में से एक के मकान पर हथौड़ा चला। बुलडोजर के साथ पहुंचे निगम के दस्ते ने यहां मकान के अवैध हिस्से को ढहा दिया। निगम की इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की चेतावनी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी इमरान उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। उधर, पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपित इमरान उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। मामले की छानबीन जारी है।

नाले की जमीन को अतिक्रमण करके बनाया : रविवार सुबह निगम पश्चिमी जोन के मेंटेनेन्स विभाग के दस्ते ने आरोपी अमरुद्दीन के घर पर पूरी तैयारी के साथ दस्तक दी। अमरुदीन का घर हस्तसाल श्मसान भूमि की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे और तरुण की गली की शुरुआत पर कोने में बना है। नियमों को ताक पर रखते हुए इसने अपने मकान का काफी हिस्सा नाले की जमीन को अतिक्रमण करके बनाया हुआ था। निगम के अधिकारियों का कहना है कि करीब साढ़े चार फीट आगे इसने जमीन पर कब्जा कर रखा था। इससे गली का प्रवेश द्वार काफी संकरा हो गया था। लोगों को गली में प्रवेश में दिक्कत होती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब भी लोग आपत्ति करते थे, इसका पूरा परिवार झगड़ा करने लगता था। इसने ऐसी दशहत फैला रखी थी, लोग इसे कुछ भी कहने से बचते थे, इससे इसकी हिम्मत बढ़ने लगी। गली के लोगों को रविवार सुबह जब यह पता लगा कि आज इसके घर के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा, तो लोग इसके घर के सामने जुटने लगे। लोगों की भीड़ जुटती देख निगम अधिकारियों के कहने पर पुलिस सक्रिय हुई और आसपास बैरिकेट लगा दिया गया। वहीं, पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए। निगम की कार्रवाई के दौरान

कोई व्यवधान नहीं हो, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात रहे। मामले की निगरानी के लिए दर्जनों एसीपी रैंक के अधिकारी पूरे इलाके में तैनात रहे।

पुलिस के पर्याप्त बंदोबस्त के बाद निगम के दस्ते ने पहले आरोपित के घर के बाहरी हिस्से पर बनी दीवार पर बुल्डोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भूतल के अन्य हिस्से ढहाए गए। फिर एक एक करके सभी उपरी मंजिलों के बाहरी हिस्सों पर हथौड़े पूरे दिन चलते रहे। सूत्रों की मानें तो अभी इस मामले से जुड़े वे सभी आरोपित जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर मकान का अवैध विस्तार किया है, उस पर हथौड़ा चलता रहेगा। निगम के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को रूटीन से जुड़ी कार्रवाई करार दिया और कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई इसके पूर्व राजौरी गार्डन व पंखा रोड में हुई है और अब यहां हो रही है।

अब तक सात गिरफ्तार : चार मार्च को होली के दिन रात के समय उत्तम नगर पुनर्वासित कालोनी में रहने वाले तरुण को उनके घर के नजदीक आरोपितों ने बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी मौत हुई। इस घटना के बाद बाद से ही पुलिस लगातार आरोपितों को गिरफ्तार कर रही है। रविवार को हुई गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। एक नाबालिग आरोपित को भी पकड़ा गया है। इससे पूर्व गिरफ्तार किए गए आरोपितों में अमरुद्दीन, जमाउद्दीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर व ताहिर शामिल है।

हिमाचल प्रदेश में ई-केवाईसी में खुली फर्जी पेंशनरों की पोल, 1.28 लाख खाते किए बंद, 44 हजार मृतक भी ले रहे थे लाभ

शिमला , वेब वार्ता। हिमाचल प्रदेश में 1.28 लाख लोगों के सामाजिक सुरक्षा पेंशन खाते बंद कर दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत चलाए गए ई-केवाईसी अभियान ने कई गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। विभाग की जांच में यह सामने आया कि 44 हजार मृत लाभार्थियों के खाते में पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद उनके नामों को सूची से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लगभग 6,000 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं, जिनकी पेंशन अब बंद कर दी गई है। इसके अलावा, 47 हजार से अधिक लाभार्थियों के पेंशन खाते ई-केवाईसी न करवाने के कारण भी बंद किए गए हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर 1.28 लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश में जुलाई 2025 तक 8.11 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा था। ई-केवाईसी की शुरुआत के बाद अपात्र और मृतकों को सूची से हटाया गया। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो 1000 रुपये से 1700 रुपये तक की मासिक पेंशन है, त्रैमासिक आधार पर लाभार्थियों के खातों में डाली जा रही है। ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली को पारदर्शी बनाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए एक नया डिस्बर्समेंट पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जिसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। 2026 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) की पेंशन नए साफ्टवेयर के माध्यम से जारी की जाएगी। मृतकों, अपात्रों और ई-केवाईसी न करवाने वालों के पेंशन खाते बंद कर दिए गए हैं। ई-केवाईसी करवाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

नामांकन प्रक्रिया का आयोजन होगा

सिरोही, 9 मार्च (का.सं.)। गृह रक्षा प्रशिक्षण सिरोही के अभ्यर्थियों की नामांकन प्रक्रिया वर्ष 2022, 28 मार्च से 29 मार्च 2026 तक महात्मा गांधी ग्राउण्ड, चेतक सर्कल के पास, उदयपुर में आयोजित की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा गठित चयन समिति (बोर्ड के सदस्यों द्वारा सम्पन्न की जायेगी। जिसमें केन्द्र के समादेष्टा, गृह रक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधि एवं जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। दो दिनों तक चलने वाली इस नामांकन प्रक्रिया में इस केन्द्र के 114 रिक्त पदो के विरूद्ध 2530 अभ्यर्थी भाग लेंगे।

समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को मोबाईल पर एसएमएस एवं ईमेल द्वारा सूचना प्रेषित की जावेगी, तत्पश्चात् अभ्यर्थी दिये गये लिंक अथवा विभागीय वेबसाईट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते है। गृह रक्षा स्वयं सेवकों की नामांकन प्रक्रिया लगभग 03 सप्ताह तक चलना संभावित है। जिसके लिए अलग-अलग जिलों में अभ्यर्थी को अलग-अलग समय पर उपस्थिति देने हेतु बुलाया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों से संबंधित प्रवेश पत्र में वर्णित महत्वपूर्ण निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी आवश्यक है।

अभ्यर्थी को निर्धारित समय, दिनांक एवं स्थान पर आवश्यक मूल दस्तावेजों (यथा जिले का मूल निवास, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं प्रवेश पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण अन्य सभी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक होग सहित उपस्थित होना होगा। नामांकन स्थल पर प्रवेश करने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को ग्राउण्ड से बाहर जाकर कोई भी दस्तावेज लाये जाने की अनुमती नही होगी। इससे संबंधित अन्य जानकारी हेतु कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02972-294251 वा सम्पर्क किया जा सकता है।

दिशा की बैठक 14 मार्च को होगी

सिरोही, 9 मार्च (का.सं.)। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 14 मार्च शनिवार को प्रात: 11 बजे जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के सभागार में आयोजित होगी। यह जानकारी जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने दी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
इंडस्ट्रियल एस्टेट ब्रांच, नायरा पेट्रोल पंप के पास, मैकडॉनल्ड की पहली मंज़िल, नागलपुर हाईवे मेहसाणा -384 002. फ़ोन:- 91-2762-253393; फ़ैक्स:- 91-2762-256494
ईमेल :- indmeh@bankofbaroda.com

अचल/चल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 20021 के नियम 6(2) और 8(6) के अंतर्गत

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परंतुक के अंतर्गत चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी रखी/बंधकित/अचल संपत्ति/संपत्तियों का **बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा** ले लिया गया है। इन संपत्तियों की बिक्री **27.03.2026 को ''जैसी है, जहां है'', ''जैसी है वैसी'' और ''जो कुछ भी उपलब्ध है'' के आधार पर** नीचे उल्लेखित खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए की जाएगी। उधारकर्ता/ओं/बंधककर्ता/गारंटर/सुरक्षित ऋणदाता का विवरण नीचे दिया गया है। नीचे परिसंपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का उल्लेख किया गया है-

क्र. सं.	उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता का नाम और पता	विवरण अचल/चल संपत्ति प्रॉपर्टी का, जिसमें ज्ञात भार शामिल हैं (गिरवी रखी गई संपत्ति -)	कुल बकाया	ई-नीलामी की तारीख ई-नीलामी शुरू होने का समय से खत्म होने का समय	1. आरक्षित मूल्य- 2. बयाना राशि (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि -	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक सांकेतिक) / भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय
1.	मैसर्स समन्वय पॉलीफैब प्राईवेट लिमिटेड, 1 बी नीलकंठ गोदाम, गांव- शोभासन मेहसाणा गुजरात-384001	प्लांट और मशीनरी जो बुने हुए प्लास्टिक बैग बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लोकेशन: स्थान: 1बी नीलकंठ गोदाम ग्राम गोदाम शोभासन-मेहसाना-गुजरात- 384001	रू. 1615,863 + लागू न किया गया ब्याज + दंडात्मक ब्याज + अन्य शुल्क और खर्च भुगतान की तारीख तक।	ई-नीलामी की तिथि 27-03-2026 ई-नीलामी का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (10 मिनट का असीमित विस्तार)	1. आरक्षित मूल्य - रू. 550,000/- 2. बयाना राशि जमा (ईएमडी)- रू. 55000/- 3. बोली वृद्धि राशि रू. 10000/- से	सांकेतिक	10-03-2026 से 26-03-2026 समय - सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक (पहले से अपॉइंटमेंट लेकर)
2.	श्री जीतेन्द्र प्रकाश रावल, बिल्डिंग नं.5 हिमगिरी अपार्टमेंट रांदेर रोड, पालनपुर पाटिया सूरत-395009						
3.	श्री राहुल देव, 1466, वाल्द्रा गली, कालंद्री सिरोही-राजस्थान-307802						
4.	श्री योगेश रावल, जय माँ हदेव स्ट्रीट, कालन्द्री-सिरोही राजस्थान-307802						

चूंकि संपत्तियां सांकेतिक (रचनात्मक) कब्जे में हैं, इसलिए ई-नीलामी बिक्री सूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:
क. संपत्तियां सांकेतिक कब्जे में हैं और बोलीदाता इन संपत्तियों को अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर खरीद रहा है।
ख. बैंक केवल सांकेतिक रूप से संपत्तियों का कब्जा सौंपेगा और सफल नीलामी बोलीदाता/खरीददार बैंक से भौतिक कब्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता है।
ग. बैंक भौतिक कब्जा सौंपने के लिए जिम्मेदार या बाध्य नहीं होगा।
घ. सफल नीलामी खरीददार किसी भी स्थिति में धन वापसी पर ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
ङ सफल नीलामी खरीददार को ई-नीलामी के तुरंत बाद उपरोक्त नियमों और शर्तों की पुष्टि करते हुए घोषणा-सह-वचन प्रस्तुत करना होगा।
च. बिक्री के बाद यदि सफल बोलीदाता घोषणा-सह-वचन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बोली की ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।

सरफेसी अधिनियम के अनुसार, उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को बिक्री की सूचना देने के लिए वैधानिक रूप से 15 दिन का समय दिया जाता है।

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction** और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल **Baanknet.com** देखें। इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी से टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर 8980039848 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 09-03-2026,
स्थान: मेहसाना

मोहम्मद शादाब,
मुख्य प्रबंधक
अधिकृत अधिकारी,
बैंक ऑफ बड़ौदा

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, प्लाट सं. 28, विवेकानन्द कॉलोनी के पूर्व की तरफ अहमदाबाद बाय पास, सिरोही से मुद्रित व प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें।
प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णत: व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई-मेल-yuvrajsinghh@gmail.com